

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दीदउगोविवि/सम्बद्धा/2015/(23)/२७९.

दिनांक 10/05/2015

प्रेषक,

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, घनीती, भाटपारानी, देवरिया

विषय— रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, घनीती, भाटपारानी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० हिंदूर्धीय पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत करना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्थीरता की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय, घनीती, भाटपारानी, देवरिया को एक यूनिट की प्रवेश क्षमता सहित 50 छात्रों की बी०ए० हिंदूर्धीय स्नातकोंवित योजनानार्त विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2015 से आगामी दो वर्षों हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति ही है।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008- 2(494)/2007 दिनांक 09 गई, 2008 में उन्निलिखित सुसंगत दिवानी-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अथ सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. रिट याचिका संख्या 81859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु नानकानुसार शिक्षकों का अनुगोदन/नियुक्ति के सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कृतिपूर्ण संस्थानों/महाविद्यालय को सर्वात सम्बद्धता आदेशों में इंगित कियोंकी पूर्ति से सम्बन्धित अग्रिमेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण प्रतिवर्ष प्रोवित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा दिलाई जायेगा।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्गित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानवों की अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
5. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 के धारा 37(2) के अनुसार प्रतिबंधित रहेगा।
6. महाविद्यालय द्वारा बी०ए० विभागाध्याय/प्रबन्धकाओं को कार्यभार ग्रहण कर कर शिक्षण कार्य कराया जायेगा एवं उन्हें बैंक के माध्यम से देतन मुग्धतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आगामी शैक्षिक सत्र से सम्बद्धता प्रस्तावों के साथ उत्तर से सम्बन्धित तमाम अग्रिमेख एवं प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाक्रम, नकलविहीन परीक्षा होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
7. महाविद्यालय संस्था द्वारा बी०ए० वापस लिए गए संस्थान अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानवों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश
8. संस्था एन०सी०टी०इ० द्वारा निर्धारित समस्त मानवों को सम्बन्धित अवधि में एन०सी०टी०इ० द्वारा निर्धारित काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अन्यर्थियों के भाग्यम से भव जायेगा तथा एन०सी०टी०इ० द्वारा निर्धारित मानवों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
9. संस्था को संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
10. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
11. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश करायी नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अथ सुलक ही प्राप्त करेगी।
12. संस्था परिसर को ऐंगिंग मुक्त रखेगी।
13. संस्था रवितपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्बन्ध अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
14. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्थुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विलम्ब नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

महाविद्यालय
कुलसचिव
10/05/15

पृष्ठांतर संख्या: दीदउगोविवि/सम्बद्धा/2015/(23)/२७९...तददिनांक/10/05/15

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुग्राम-८, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा अ०प्र०, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिकारी, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उच्च कुलसचिव, परीक्षा समाचार, बी०ए० हिंदूर्धीय गो०विवि०, गोरखपुर।
4. उच्च कुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुगोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का काट करे/कुलसचिव
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड कार्ड (सम्बद्धता)।

उच्च कुलसचिव का उच्च कुलसचिव
प्रबन्धक
रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय
घनीती, भाटपारा रामी-देवरिया (इप्र.)

कुलसचिव